


127

प्रति,

म०प्र०राज्य मण्डल म०प्र० ग्वालियर सर्किट कोर्ट रीवाम०प्र०

निगरानी प्रकरण क्र० / 2012



R-1229-II/12

श्री तनय साह
पंडित साह
24/4/12 को रीवाम०प्र०
महोदय को
39
24/4/12

रुपचन्द्र
श्री तनय स्व० श्री लक्ष्मीचन्द्र निवासी ग्राम हनुमना,
अमहा वासुदेव तहसील हनुमना जिला रीवाम०प्र०----- निगरानीकर्ता
विरुद्ध

1- भगवानदास तनय महावीर केशरवानो निवासी ग्राम अमहा वासुदेव

तहसील हनुमना, जिला रीवा म०प्र०

2- शासन म०प्र०

----- गैरनिगरानीकर्तागण

प्रार्थना-पत्र निगरानी विरुद्ध आदेश अपर
कलौ रीवा दिनांक 20-4-09 पारित निगरानी
प्रकरण क्र० 19अ/74/2005-06 अन्तर्गत धारा 50
म०प्र० मूराजस्व संहिता सन 1959 ईस्वी।

मान्यवर,

प्रार्थना-पत्र : निगरानी : के आधार नीचे लिखे अनुसार है :-


1- यह कि भूमि खसरा क्र० 240 रकबा 0-8 एवम 242 रकबा 0-37 ए०
स्थित ग्राम अमहा वासुदेव के शासकीय पट्टेदार क्वीटू तनय सुद्ध व
दुखीराम तनय पूणू साहू की पूर्व में दर्ज किया जाना लैख है। इन भूमियों
के उक्त पट्टेदारों के बनारस चले जाने पर आवेक के पिता लक्ष्मीचन्द्र का विज
हुये और कब्जा के आधार पर प्रकरण क्र० 34 में पारित आदेश दिनांक
3-4-58 के पट्टेदार लक्ष्मीचन्द्र तनय गुरुदत्त को दर्ज करने का आदेश
दिया गया, जिस आदेश को प्रकरण क्र० 14अ/6अ/71-72 में अतिरिक्त तह०

राजस्व मण्डल, मध्यप्रदेश ग्वालियर
अनुवृत्ति आदेश पृष्ठ-अ

मामूला क्र०-R.1229-II/12

जिला-रीवा

रूपचन्द्र सोनी/भगवानदास केशरवानी

(1)	(2)	(3)
14.03.18	<ol style="list-style-type: none">1. प्रकरण प्रस्तुत।2. आवेदक तथा उनके अधिवक्ता की पुकार करायी गयी किन्तु सूचना उपरांत लगाता कई पेशियों से उपस्थित नहीं है।3. चूकि आवेदक तथा अभिभाषक सूचना उपरांत उपस्थित नहीं है। अतः संहिता की धारा-35(2) के तहत प्रकरण अदम पैरवी में खारिज किया जाता है।4. आदेश की प्रति के साथ अधीनस्थ न्यायालय का रिकार्ड वापस किया जाये, तत्पश्चात प्रकरण पंजी से समाप्त होकर दा.द. हो। <p style="text-align: right;"> सदस्य</p>	